

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -195/2023

अनवान : -

1. सरजीत पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)

- वादी

बनाम्

1. सीतोकौर उर्फ हरपाल कौर पुत्री नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी हाल निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
2. अमरजीत कौर उर्फ जसपाल कौर पुत्री नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी हाल निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

4. जसवन्तसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
5. गुरचरणसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
6. जरनेलसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)

— तरतीवी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 05.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 39/35 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 11. 6380 है0 भूमि में से वादी के पिता मृतक नरसिंह पुत्र देवीसिंह के 8083/58190 हिस्सा व वादी के मृतक बलजीतसिंह का 3233/116380 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में से वादी के पिता मृतक नाजरसिंह पुत्र देवसिंह का 1/3 हिस्सा व वादी के भाई मृतक बलजीतसिंह का का 1/15 हिस्सा व खाता संख्या 160/146 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है0 भूमि में से



नरसिंह पुत्र देवसिंह का 1/9 हिस्सा व वादी के भाई मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह का 1/45 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता नरसिंह उर्फ नाजरसिंह उर्फ नाहरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के भाई बलजीतसिंह का (अविवाहित लावल्द फोट) हो चुका है जिसके बाद जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है।


प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का ब० हि० ब० हक हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 26 डीपीएन खाता संख्या 160 सम्वत 2070-73 प्रदर्श-1, जमाबंदी रोही मौजा 14 बाराणी खाता सं० 39 सम्वत 2070-73 प्रदर्श-2, जमाबंदी रोही मौजा 26 डीपीएन खाता संख्या 34 सम्वत 2070-73 प्रदर्श-3, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक नरसिंह प्रदर्श-4, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बलजीत सिंह प्रदर्श-5, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक नन्दकौर प्रदर्श-6, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श-7, वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र प्रदर्श-8, वारिसान प्रमाण पत्र नरसिंह प्रदर्श-9, वारिसान प्रमाण पत्र बलजीत सिंह प्रदर्श-10, हिन्दी अनुवाद वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 ता 12 आदि प्रदर्शित करवायें।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा वादी के

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
बोहर (हनुमानगढ़)

वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 39/35 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 11.6380 है0 भूमि में से वादी के पिता मृतक नरसिंह पुत्र देवीसिंह के 8083/58190 हिस्सा व वादी के मृतक बलजीतसिंह का 3233/116380 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में से वादी के पिता मृतक नाजरसिंह पुत्र देवसिंह का 1/3 हिस्सा व वादी के भाई मृतक बलजीतसिंह का का 1/15 हिस्सा व खाता संख्या 160/146 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है0 भूमि में से वादी के पिता मृतक नरसिंह पुत्र देवसिंह का 1/9 हिस्सा व वादी के भाई मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह का 1/45 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वर्तमान में बलजीत सिंह पुत्र नाहरसिंह व नहरसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज है वादी का कथन है कि इनके वारिसान सजरा खानदान एवं प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 4 ता 6 है। प्रतिवादी स0 1 व 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 4 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता स्वीकार करते हुए इकबाल/जवाब दावा पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा बलजीत सिंह पुत्र नाहरसिंह व नहर सिंह पुत्र देवीसिंह के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 39/35 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 11.6380 है0 भूमि में से 8083/58190 हिस्सा में मृतक नरसिंह पुत्र देवीसिंह का नाम कलमजन किया जाकर व 3233/116380 हिस्सा भूमि में मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के

जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक नाजरसिंह पुत्र देवसिंह का नाम कलमजन किया जाकर व 1/15 हिस्सा भूमि में मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाजरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर तथा खाता संख्या 160/146 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक नरसिंह पुत्र देवासिंह का नाम कलमजन किया जाकर व 1/45 हिस्सा भूमि में मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर तीनों खातों में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 34/30 में पूर्व में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता का नाम नाजरसिंह की बजाय नाहरसिंह दर्ज किया जावे तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 5/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-रामसरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या -195/2023

अनवान : -

1. सरजीत पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)

- वादी

बनाम्

1. सीतोकौर उर्फ हरपाल कौर पुत्री नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी हाल निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
2. अमरजीत कौर उर्फ जसपाल कौर पुत्री नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी हाल निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

4. जसवन्तसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
5. गुरचरणसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)
6. जरनेलसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मानसा (पंजाब)

--- तरतीवी प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 195 सन 2023 निर्णय दिनांक 05.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 39/35 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 11.6380 है0 भूमि में से 8083/58190 हिस्सा में मृतक नरसिंह पुत्र देवीसिंह का नाम कलमजन किया जाकर व 3233/116380 हिस्सा भूमि में मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक नाजरसिंह पुत्र देवसिंह का नाम कलमजन किया जाकर व 1/15 हिस्सा भूमि में मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाजरसिंह का नाम कलमजन किया

जाकर तथा खाता संख्या 160/146 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है० भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक नरसिंह पुत्र देवासिंह का नाम कलमजन किया जाकर व 1/45 हिस्सा भूमि में मृतक बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर तीनों खातों में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 34/30 में पूर्व में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता का नाम नाजरसिंह की बजाय नाहरसिंह दर्ज किया जावे तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्येन्द्रारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट-रामसरा